रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 959] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939
No. 959] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.1461(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1113(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ।

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 अगस्त, 2017 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को या छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(i) नियम 96ग में, ''आईएस 12207:1999'' अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आईएस 12207:2014" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) नियम 98ख के उपनियम (2) में, ''आईएस 11859:1986'' अक्षरों और अंकों के स्थान पर, ''आईएस 11859:2004'' अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iii) नियम 112 के चौथे परंतुक में, "आईएस 12239 (भाग 1) -1988" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "आईएस 12239 (भाग (1) -1996" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) पार्श्व शीर्ष 115च. "ईंधन खपन मानदंड" के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा और यह 5 अक्तूबर, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा अर्थात्:--

"115छ. ईंधन खपन मानदंड" ।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 5 अक्तूबर, 2016 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 954(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करते समय पार्श्व शीर्ष "नियम 115छ. ईंधन खपत मानदंड" के स्थान पर अनवधानता से उसे "नियम 115च. ईंधन खपत मानदंड" के रूप में उल्लिखित किया गया था । 5 अक्तूबर, 2016 से नियम 2 के खंड (iv) में नियम 115छ. के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख करने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1433(अ), तारीख 20.11.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2017

G.S.R. 1461(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1113(E), dated the 29th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2017;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in this rules, they shall come into force on and after the expiry of six months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules 1989,—

(i) in rule 96 C, for the letters and figures "IS 12207:1999", the letters and figures "IS 12207:2014" shall be substituted;

(ii) in rule 98-B, in sub-rule (2), for the letters and figures "IS 11859:1986", the letters and figures "IS 11859:2004" shall be substituted;

(iii) in rule 112, in the fourth proviso, for the letters, figures and word "IS 12239 (Part 1) -1988", the letters, figures and word "IS 12239 (Part 1):1996" shall be substituted;

(iv) for the marginal heading "115F. "Fuel consumption standard", the following marginal heading shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 5th October, 2016, namely:—

"115G. Fuel consumption standard".

[F. No. RT-11028/01/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

While amending the Central Motor Vehicle Rules, 1989 *vide* the Central Motor Vehicles (16th Amendment) Rules, 2016, published in the Gazette of India, Explanatory, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th October, 2016, *vide* notification number G.S. R 954(E), dated the 4th October, 2016, instead of marginal heading "Rule 115G. Fuel Consumption Standard" it was inadvertently mentioned as "Rule 115F. Fuel Consumption Standard". Mentioning the date of operation of rule 115G in clause (iv) of rule 2 with effect from the 5th October, 2016, does not bring adverse effect to the interest of any person.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1433(E), dated 20.11.2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.01 11:17:24 +05'30'